भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 875**

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

**डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी**

875. श्री नीरज डांगी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष में बैंकों व डिजिटल भुगतान से जुड़े फ्रॉड कॉल, इंटरनेट और कार्ड से भुगतान के संबंध में दर्ज धोखाधड़ी के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त एजेंसियों और संगठनों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में डिजिटल ऋण देने वाले एप और उनके विज्ञापनों पर निगरानी रखने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या डिजिटल ऋण देने वाले एप में विदेशी एप भी शामिल है यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अब तक कितने डिजिटल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

**(क):** भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि वे इस प्रकार की सूचना नहीं रखते हैं, तथापि, वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 'कार्ड/इंटरनेट और डिजिटल भुगतान' की श्रेणी के अंतर्गत धोखाधड़ियों (अंतर्ग्रस्त राशि 1 लाख रुपए और अधिक) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

| **वित्तीय वर्ष** | **धोखाधड़ियों की संख्या** | **अंतर्ग्रस्त कुल राशि करोड़ में** |
|---|---|---|
| 2022-23 | 6,699 | 277.34 |
| 2023-24 | 29,082 | 1,457.05 |

**(ख):** पिछले कुछ वर्षों में देश में बढ़ते डिजिटल भुगतान लेनदेन के साथ डिजिटल भुगतान धोखाधड़ियों सहित धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाओं की घटनाएं भी बढ़ी हैं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य का विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी सहित अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार इनके एलईए के क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत परामर्श और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

**(ग):** अनधिकृत लोन ऐप्स द्वारा नागरिकों के शोषण से रक्षा करने के लिए सरकार विनियामकों और अन्य हितधारकों के परामर्श से समय-समय पर विभिन्न पहल करती रही है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) आरबीआई ने वेब और मोबाइल ऐप खतरों का सामना करने के लिए फरवरी, 2021 में डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रणों के संबंध में मास्टर निदेश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश बैंकों को विभिन्न भुगतान चैनलों जैसे इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड भुगतान आदि के लिए सुरक्षा नियंत्रणों के एक समान न्यूनतम मानक क्रियान्वित करने को अधिदेशित करते हैं।

(ii) सरकार और विनियामक प्रमुख इंटरनेट मध्यवर्तियों और मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं ताकि अनधिकृत लोन ऐप्स के परिचालनों की समीक्षा की जा सके।

(iii) गृह मंत्रालय (एमएचए) का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) सक्रिय रूप से डिजिटल लेंडिंग ऐप्स का विश्लेषण कर रहा है। नागरिकों को अवैध लोन ऐप्स सहित साइबर घटनाओं की सूचना देने की सुविधा प्रदान करने के लिए एमएचए ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर "1930" के साथ-साथ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) आरंभ किया है।

(iv) आरबीआई और बैंक शॉर्ट एसएमएस, रेडियो अभियान के माध्यम से जागरूकता अभियान का आयोजन, 'साइबर-अपराध' के निवारण के संबंध में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आरबीआई इलेक्ट्रॉनिक-बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम आयोजित करता रहा है, जिसमें मुख्य रूप से धोखाधड़ी और जोखिम कम करने के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

**(घ):** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मिटी) सूचना प्रौद्योगिकी (जनता तक सूचना की पहुंच रोकने की प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2009 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69क के अंतर्गत धोखाधड़ीपूर्ण लोन ऐप्स सहित सूचना को प्रतिबंधित करने के लिए निदेश जारी करता है। मिटी ने सूचित किया है कि गृह मंत्रालय (एमएचए) के नोडल अधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर उन्होंने 87 अवैध उधार देने वाले लोन एप्लिकेशन्स को प्रतिबंधित करने के निदेश जारी किए हैं।

******